हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
Board of School Education Haryana
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
आज़ादी का अमृत महोत्सव

महत्वपूर्ण सूचना

बोर्ड बैठक दिनांक 05/07/18 मद संख्या–37 के अनुसार हरियाणा राज्य के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/– रूपये प्रति परीक्षार्थी एवं अन्य राज्य/बोर्ड से आए नियमित परीक्षार्थियों के लिए 200/– रूपये प्रति परीक्षार्थी होगा। एनरोलमैंट रिटर्न/पंजीकरण आनॅलाईन आवेदन करने का शैडयूल बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2006 के मद संख्या 12 तथा बोर्ड बैठक दिनांक 07.10.2017 मद संख्या–9 के नियमानुसार तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

नौंवीं से बारहवीं के एनरोलमैन्ट रिटर्न भरने की तिथियाँ

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	300/– रू0 विलम्ब शुल्क सहित	1000/–रू0 विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियाँ
नौंवीं से बारहवीं	08.12.2025 से 20.12.2025	21.12.2025 से 28.12.2025	29.12.2025 से 05.01.2026	06.01.2026 से 08.01.2026

हरियाणा राज्य के सभी अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि एनरोलमैंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दर्शाई गई सभी शर्तो की पालना करना सुनिश्चित करें :–

1. सभी सम्बन्धित विद्यालय अपने परीक्षार्थियों के "एनरोलमैन्ट रिटर्न" के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन–लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमैन्ट हेतु विद्यालय की **Login I.D/** पासवर्ड पहले ही निर्धारित है।
2. कक्षा नौंवी से बारहवीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमैंट आवेदन किए जाने है, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2025–26 क लिए प्रवेश दिया गया है।
3. विद्यार्थियों की नवीनत्तम फोटो "विद्यालय वर्दी" में तिथि सहित होनी चाहिए।
4. जिन परीक्षार्थियों ने आठवीं परीक्षा हाल ही मे पास करके 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उन सभी का एनरोलमैन्ट करना अनिवार्य है। 9वी फेल ऐसे परीक्षार्थी जिनका इस बोर्ड से पहले ही एनरोलमैंट हो चुका है उसका पुनः एनरोलमैंट नहीं करवाया जाना है उसका केवल पंजीकरण किया जाना है। पंजीकरण शुल्क 100/रू है जो कि आनॅलाईन जमा करवाना हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग परीक्षार्थी से सभी प्रकार के बोर्ड आवेदन शुल्क नहीं लिया जाना बनता इन परीक्षार्थियों का दिव्यांग प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
5. जिन परीक्षार्थियों का 9वीं कक्षा में इस बोर्ड से पहले ही एनरोलमैंट हो चुका है व परीक्षार्थी ने 9वीं कक्षा पास करके 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उनका न तो एनरोलमैंट किया जाना है और न हीं पंजीकरण किया जाना है। 10वीं कक्षा मे अनुतीर्ण होकर पुनः प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थी का पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। उसका पुनः एनरोलमैंट नहीं करवाया जाना है उनका केवल पंजीकरण करवाया जाना है। पंजीकरण शुल्क 100/रू है जो कि आनॅलाईन जमा करवाना हैं। अन्य बोर्डो/राज्यों से आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जिन्होने 10वीं एवं 12वीं में सीधे प्रवेश लिया है उनका एनरोलमैंट करवाना आवश्यक है 10वीं कक्षा हेतू कक्षा 9वीं की एस0एल0सी0

SRN No. सहित एवं कक्षा 12वीं हेतू कक्षा 10वीं का प्रमाण–पत्र व कक्षा 11वीं की एस0एल0सी0 **SRN No.** सहित **Upload** करना अनिवार्य है।

6. इस बोर्ड से 10वीं पास करके 11वीं मे दाखिला लेने वाले सभी परीक्षार्थियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 11वीं में अनुतीर्ण रहें परीक्षार्थियों का भी पुनः प्रवेश लेने पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य हैं। अन्य राज्यां/बोर्डो से आकर 11वीं में दाखिला लेने वाले परीक्षार्थियों का एनरोलमैंट करवाना अनिवार्य हैं।
7. जिन परीक्षार्थियों का 11वीं कक्षा में पहले ही एनरोलमैंट/पंजीकरण करवाया जा चुका है व परीक्षार्थी ने 11वीं कक्षा पास करके पहली बार 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया हैं उनका न तो एनरोलमैंट किया जाना है और न हीं पंजीकरण किया जाना है। जो परीक्षार्थी 12वी कक्षा मे इस बोर्ड से अनुतीर्ण रहे है, और पुनः 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है उनका पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। उनका पुनः एनरोलमैंट नहीं करवाया जाना है उनका केवल पंजीकरण करवाया जाना है।
8. जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में ही इस बोर्ड से कक्षा 9वीं में एनरोलमैन्ट हो चुका है व उन परीक्षार्थियों द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड से नियमित परीक्षार्थी के तौर पर ना देकर हरियाणा मुक्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है, ऐसे परीक्षाथियों को कक्षा 11वीं में पुनः एनरोलमैन्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है।
9. जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में ही इस बोर्ड से कक्षा 9वीं में एनरोलमैन्ट हो चुका है व उन परीक्षार्थियों द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड से नियमित/मुक्त परीक्षार्थी के तौर पर ना देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्डो से उत्तीर्ण की है, ऐसे परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र की व माईग्रेशन प्रमाण–पत्र विद्यालय द्वारा जांच करते हुए बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने है तदोपरांत पूर्व में जारी किए गए एनरोलमैन्ट में उक्त सूचना अपडेट करवाई जानी है। इस स्थिति में परीक्षार्थी को कक्षा 11वीं में पुनः एनरोलमैन्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है।
10. कक्षा 9वीं से 12वीं मे अन्य बोर्ड/राज्य से आने वाले छात्रों की **Countersingned SLC/TC** एवं कक्षा 11वीं व 12वीं मे प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों के 10वीं का प्रमाण पत्र एनरोलमैंट आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमैंट आनॅलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. **SLC/TC** 10वीं उतीर्ण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर एनरोलमैंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होगें जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. परीक्षार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरांत एक परीक्षार्थी के डाटा में (जन्म तिथि को छोड़कर) दो त्रुटियां आनॅलाईन निशुल्क ठीक की जा सकती है। दो से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर 300/–रू0 शुल्क प्रति शुद्धि आनलाईन(निर्धारित तिथि तक) भुगतान करना होगा। इसके बाद किसी भी शुद्धि के लिए बोर्ड कार्यालय मं दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें व 300/–रू0 प्रति शुद्धि शुल्क काउंटर पर जमा करना होगा।
13. बोर्ड की वैबसाईट के एनरोलमैन्ट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :–

CERTIFICATES:-

(i) The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission

and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students have been made in time and admitted upto age limit as per Education policy 2003.

(ii) The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.

(iii) All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to Board's rules.

(iv) **The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left out.**

(v) We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found at the later stage the School will be responsible.

(vi) It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified by our school and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible and penalized accordingly.

(vii) Certified that the school/institute will be responsible for admitting students from fake boards/boards not having equivalency with Board of School Education Haryana, Bhiwani

14. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि विद्यालय द्वारा किसी परीक्षार्थी को एनरोलमैंट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया है तो उस परीक्षार्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा परीक्षार्थी सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि परीक्षार्थी अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर एनरोलमैंट विनियम 21(2) के अंतर्गत एक लाख रू0 (100000/–रू0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रू0 (300000/–रू0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

15. जिन विद्यालयों द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके परीक्षार्थियों को गलत तरीके स प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमैंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च एनरोलमैंट विनियम संख्या21(1) के तहत वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

16. एनरोलमैन्ट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।

17. शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए कक्षा नौंवी से बारहवीं के परीक्षार्थियों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है। परीक्षार्थी के पिता का आधार नं0 भी भरें। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नं0 नहीं है तो माता का आधार नं0 भरें।

18. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत् परीक्षार्थियों के एनरोलमैंट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन–लाईन भेजे। इसके पश्चात् आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन–पत्र ऑफ–लाईन स्वीकार नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर **(Admission Withdrawl**

Register) में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की छायाप्रति भी अपलोड करना अनिवार्य है।

19. विद्यालय द्वारा 9वी एवं 11वीं का प्रश्न–पत्र शुल्क 50/–रू प्रति विद्यार्थी आनलाईन माध्यम से जमा करवना होगा। एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न–पत्र शुल्क 1000/–रू प्रति विद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न–पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

20. एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डो से आए 9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों के एनरोलमैंट करने उपरांत मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अंदर–अंदर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए परीक्षार्थियों के एनरोलमैंट प्रोविजनल लगाए जाएगें, जिन्हें एस.एल.सी./टी.सी. की जांच करने उपरांत ही स्थायी माना जाएगा। जांच मे **Bogus/Fake** पाए जाने पर एनरोलमैंट रदद कर दिए जाऐगे एवं सस्था के विरूद्ध विनियम–21(i)&(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

21. यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमैंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापसी हेतु एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अंदर–अंदर बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध शुल्क वापसी का प्रोफॉर्मा भरते हुए संपूर्ण विवरण(**Benificairy Name, Account No., IFSC Code,Bank Branch Name**) सहित प्रार्थना पत्र ई–मेल asenr@bseh.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमैंट शुल्क वापसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

22. शैक्षिक सत्र 2025–26 में कक्षा 9वी एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम भी इसी वैबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें अगले वर्ष की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

23. सत्र 2025–26 शिक्षा बोर्ड से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के एनरोलमैन्ट रिटर्न भरते समय ऑनलाईन आवेदन में अपार आई0डी0(**APAR ID**) का कॉलम दिया गया है। सभी विद्यालय उक्त कॉलम में परीक्षार्थी की **APAR ID** संख्या भरना सुनिश्चित करें।

24. किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 01664–254300 या 01664–254302 पर संपर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमैन्ट) के फोन नं. 01664–244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है व हैल्पलाईन ई–मेल asenr@bseh.org.in पर ई–मेल भेजी जा सकती है।

सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की सम्बद्धता पोर्टल पर सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण होते ही नामांकन/पंजीकरण के लिए पोर्टल ओपन होगा। विद्यालयों को निर्देश दिए जा रहे है, कि वे परीक्षार्थियों के पंजीकरण/नामांकन का डाटा एक बार(एकमुश्त) में ही अपलोड करें।

05/XI/25

सहायक सचिव(एनरोल0/सम्बद्धता)